दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय

गोरखपुर

विवरणिका
2016-2017

(सम्बद्ध : दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय,गोरखपुर)
'नैक' (NAAC) प्रत्यायित 'बी' ग्रेड (सीजीपीए 2.78)
एवं उ.प्र. शासन द्वारा 'अ' श्रेणी प्राप्त

website : www.dnpgcollege.edu.in
e-mail. : dnpggkp@gmail.com
दूरभाष : 0551-2334549
फैक्स : 0551-2334549

हमारे आदर्श
महाराणा प्रताप

स्वदेश, स्वधर्म, स्वतंत्रता और स्वाभिमान के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले राष्ट्रनायक परमवीर महाराणा प्रताप का उज्जवल प्रदीप्त चरित्र हमारा आदर्श है।

मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम के श्रीमुख से निःसृत-

'जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी' और पुण्य प्रताप महाराणा प्रताप का यह उद्घोष कि-

'जो हठि राखे धर्म को तिहि राखै करतार'

हमारे सदा स्मरणीय बोधवाक्य है।

महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् द्वारा स्थापित इस महाविद्यालय के पीछे यही स्पष्ट उद्देश्य और प्रयोजन है कि इस संस्था में अध्ययन अध्यापन करने वाला युवा आधुनिक ज्ञान-विज्ञान एवं कला की कालोचित शिक्षा ग्रहण करने के साथ-साथ अपने देश और समाज के प्रति सहज निष्ठा और अटूट श्रद्धा का भी पाठ पढ़ें।

महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद्

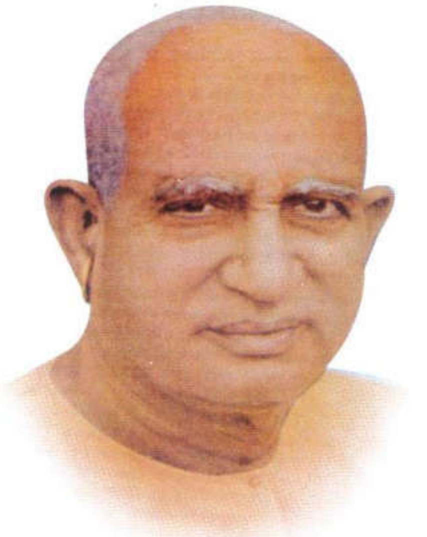

भारत के स्वाधीनता संग्राम में बाल गंगाधर तिलक का युग समाप्त होते-होते कांग्रेस के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा था। 1920 ई0 के बाद क्रान्तिकारी आन्दोलन ने अलग राह पकड़ी और 1930-31 ई0 तक आते-आते कांग्रेस के स्पष्ट सहयोग के अभाव में क्रान्तिकारियों का दमन करने में ब्रिटिश हुकूमत सफल रही। 1915-16 ई0 के बाद इसी काल खण्ड में स्वाधीनता संग्राम की अगुवा कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की भी शिकार हुई। इस युग तक अंग्रेजों द्वारा भारत में अंग्रेजियत में रमे बाबुओं की फौज खड़ी करने की शिक्षा नीति का प्रभाव भी दिखने लगा था। देश के समक्ष एक चुनौती थी कि भारत की नयी पीढ़ी भारतीयता के साँचे में कैसे ढलें। अपनी संस्कृति और स्वदेशी दृष्टि से शिक्षा प्रणाली और शिक्षा नीति ही एक मात्र इस चुनौती का समाधान था। इस चुनौती को भी भारतीय मनीषियों ने स्वीकार किया।

महामना मदन मोहन मालवीय के अथक प्रयास से 4 फरवरी 1916 ई0 को काशी हिन्दू विश्वविद्यालय लोकार्पित हो गया। भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार हेतु स्थापित यह विश्वविद्यालय पूरे देश में भारतीय संस्कृति पर आधारित शिक्षा पद्धति का एक नया मानक बना और इसी धारा को तत्कालीन युगपुरुष गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज ने आगे बढ़ाते हुए 1932 ई0 में गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् की नींव रखी। ब्रिटिश हुकूमत को शिक्षा के भी क्षेत्र में भारतीय मनीषियों द्वारा यह कड़ी चुनौती थी कि भारत अपने पैरों पर खड़ा होने में समर्थ है, भारत अपना तंत्र, अपनी शिक्षा, अपनी संस्कृति और अपने मूल्यों की पुनः स्थापना अपनी योजनानुसार करेगा। यह दूरदृष्टि थी कि देश जब आजाद होगा तब तक देश की व्यवस्था चलाने हेतु भारतीय पद्धति के शिक्षा संस्थानों से निकले युवाओं की फौज तैयार मिलेगी।

देश पराधीन था। जनता विपन्न थी। ज्ञान कौशल के अभाव में स्वाभिमान और राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की चेतना का जागरण दुष्कर था। महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज अपनी संकल्प शक्ति के बल पर आजादी की लड़ाई के एक प्रमुख शस्त्र के रूप में शैक्षिक क्रान्ति के पथ पर भी आगे बढ़े। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत 1932 ई0 में बक्शीपुर में किराये के एक मकान में 'महाराणा प्रताप क्षत्रिय स्कूल' प्रारम्भ हुआ। 1935 ई0 में इसे जूनियर हाईस्कूल की मान्यता मिल गयी और 1936 ई0 में यहाँ हाईस्कूल की पढ़ाई प्रारम्भ की गयी तथा इसका नाम 'महाराणा प्रताप हाई स्कूल' हो गया। इसी बीच महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज के अथक प्रयास से गोरखपुर के

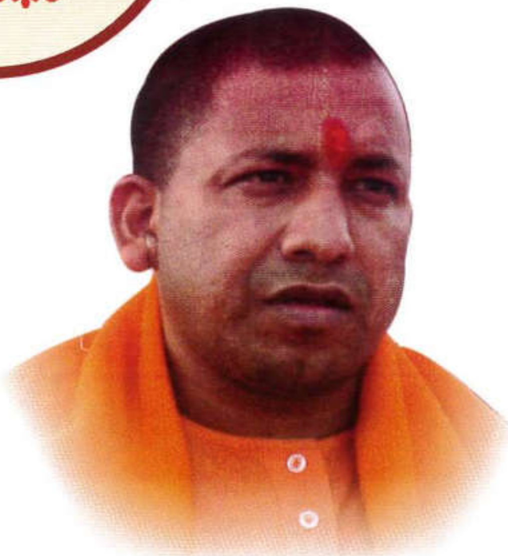

सिविल लाइन्स में पाँच एकड़ भूमि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् को प्राप्त हो गयी और महाराणा प्रताप हाईस्कूल का केन्द्र सिविल लाइन्स हो गया तथा देश के आजाद होते समय यह विद्यालय महाराणा प्रताप इण्टरमीडिएट कालेज के रूप में प्रतिष्ठित हुआ।

1949-50 ई0 में इसी परिसर में महाराणा प्रताप डिग्री कालेज की स्थापना महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् का अगला पड़ाव था। अगस्त 1958 ई0 में महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज ने महाराणा प्रताप डिग्री कालेज को गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु समर्पित किया और विश्वविद्यालय की स्थापना के आधार स्तम्भ बने। वर्तमान गोरखपुर विश्वविद्यालय का वाणिज्य संकाय आज भी उसी महाराणा प्रताप डिग्री कालेज भवन में चल रहा है तथा उसी परिसर में विश्वविद्यालय का एम.बी.ए., शिक्षा शास्त्र एवं वाणिज्य संकाय का नवीन भवन भी स्थित है। तत्पश्चात् महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् ने ब्रह्मलीन महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज के नाम से वर्तमान **दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय** की स्थापना की, सम्प्रति यह विश्वविद्यालय परिसर से सटे महानगर का एक अति प्रतिष्ठित महाविद्यालय है।

महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् द्वारा वर्तमान में तीन दर्जन से अधिक शिक्षण संस्थाएँ गोरखपुर क्षेत्र में संचालित हो रही हैं। इनमें गोरखपुर में महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय रामदत्तपुर, श्री गोरक्षनाथ संस्कृत महाविद्यालय गोरखनाथ, दिग्विजयनाथ एल.टी. प्रशिक्षण महाविद्यालय सिविल लाइन्स, महाराणा प्रताप बालिका इण्टर कालेज सिविल लाइन्स, महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक, महाराणा प्रताप सीनियर सेकेण्ड्री स्कूल मंगला देवी मन्दिर बेतियाहाता, महाराणा प्रताप कृषक इण्टर कालेज जंगल धूसड़, श्री गोरक्षनाथ संस्कृत उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोरखनाथ, महाराणा प्रताप कन्या इण्टर कालेज रामदत्तपुर, महाराणा प्रताप पूर्व माध्यमिक विद्यालय रामदत्तपुर, महाराणा प्रताप शिशु शिक्षा बिहार, रामदत्तपुर, महाराणा प्रताप जूनियर हाईस्कूल लालडिग्गी, दिग्विजयनाथ इण्टर कालेज चौक माफी पीपीगंज, प्रताप आश्रम गोलघर, महाराणा प्रताप मीराबाई महिला छात्रावास सिविल लाइन्स, दिग्विजयनाथ महिला छात्रावास सिविल लाइन्स, गुरुगोरक्षनाथ संस्कृत छात्रावास गोरखनाथ, महाराणा प्रताप टेलरिंग स्कूल सिविल लाइन्स, गुरू श्री गोरक्षनाथ स्कूल ऑफ नर्सिंग गोरखनाथ मन्दिर, महायोगी गुरु छात्रावास गोरक्षनाथ योग संस्थान गोरखनाथ मन्दिर, श्री गोरखनाथ आधुनिक व्यायाम शाला गोरखनाथ मन्दिर, योगिराज बाबा गम्भीरनाथ निःशुल्क सिलाई-कढ़ाई प्रशिक्षण केन्द्र जंगल धूसड़, हिन्दू विद्यापीठ जंगल तिनकोनिया, महायोगी गुरू श्री गोरक्षनाथ गौ सेवा केन्द्र गोरखनाथ, गुरू श्री गोरक्षनाथ सेवा संस्थान गोरखनाथ एवं योगिराज बाबा गम्भीर नाथ सेवा आश्रम जंगल धूसड़ आदि प्रमुख संस्थाएँ हैं। महराजगंज में गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त अवेद्यनाथ महाविद्यालय, चौक बाजार, दिग्विजयनाथ इण्टर कालेज चौक बाजार, दिग्विजयनाथ पूर्व माध्यमिक विद्यालय चौक बाजार तथा दिग्विजय प्राथमिक विद्यालय चौक बाजार प्रमुख शिक्षण संस्थाएँ हैं। शिक्षा परिषद् की एक महत्वपूर्ण संस्था गुरू गोरक्षनाथ संस्कृत विद्यालय मैदागिन, वाराणसी में स्थित है। चिकित्सा सेवा के क्षेत्र में गुरु श्रीगोरक्षनाथ चिकित्सालय एवं महन्त दिग्विजयनाथ आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी गोरखनाथ मन्दिर द्वारा महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत ही संचालित है।

दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय

दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय की स्थापना 25 अगस्त 1969 को दिग्विजयनाथ डिग्री कालेज के रूप में हुई थी। यह संस्था 1932 ई. में स्थापित उ.प्र. की गौरवभूत अग्रणी शैक्षिक संस्था महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद, गोरखपुर के अन्तर्गत संचालित है। इस संस्था को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और शैक्षिक पुनर्जागरण के अग्रदूत सन्त ब्रह्मलीन महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज के कर कमलों द्वारा काल के वक्ष पर स्थापित कीर्ति स्तम्भ होने का गौरव प्राप्त है।

महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के अन्तर्गत संचालित तत्कालीन महाराणा प्रातप डिग्री कालेज परिसर तथा परिसम्पत्तियों सहित सन् 1958 ई. में गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु परमलोक संग्रही महामना दिग्विजयनाथ जी महाराज द्वारा उदारतापूर्वक विश्वविद्यालय में विलीन कर दिया गया और इस प्रकार विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। विश्वविद्यालय के शिक्षा एवं वाणिज्य संकाय ब्रह्मलीन महन्त जी द्वारा विलीनीकृत तत्कालीन महाराणा प्रताप कालेज के परिसर और भवन में अब भी चल रहे हैं।

यह स्नातकोत्तर महाविद्यालय गोरखपुर महानगर के हृदयस्थल गोलघर, सिविल लाइन्स क्षेत्र में गोरखपुर रेलवे स्टेशन से मात्र 1.5 किमी0 की दूरी पर स्थिति है। पूर्वी एवं पश्चिमी दो परिसरों में विभक्त यह महाविद्यालय जिलाधिकारी कार्यालय, कचहरी तथा दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिसरों से सलंग्न है। अपने संस्थापक युगपुरूष ब्रह्मलीन महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज के स्वप्नों को साकार करने के लिए प्रखर चेतना एवं सेवा-समर्पण की भावना से लोकहित में तत्पर उदारमना ब्रह्मलीन महन्त अवेद्यनाथ जी महाराज के कुशल नेतृत्व में नये शिखर को प्राप्त किया तथा वर्तामन गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त योगी आदित्यनाथ जी महाराज के निर्देशन में संचालित यह महाविद्यालय अध्यापन, अनुशासन और स्वच्छता तीनों दृष्टियों से न केवल इस नगर में अपितु दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में एक अग्रणी स्थान रखता है। यह महाविद्यालय उच्च शिक्षण संस्थानों को उनके कार्य व क्षमता के अनुरूप गुणवत्ता का प्रमाणन करने वाली सरकार की स्वायत्तशासी संस्था यू.जी.सी. नैक (**NAAC**) द्वारा प्रत्यायित 'बी' श्रेणी (सी.जी.पी.ए. 2.78) तथा उ.प्र. शासन द्वारा 'अ' श्रेणी प्राप्त है।

दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय
प्रबन्ध समिति

1.	डॉ0 भोलेन्द्र सिंह	–	अध्यक्ष
2.	प्रो0 उदय प्रताप सिंह	–	उपाध्यक्ष
3.	परम पूज्य महन्त योगी आदित्यनाथ जी महाराज	–	मंत्री/प्रबन्धक
4.	श्री योगी कमलनाथ जी	–	संयुक्त मंत्री
5.	श्री मिथिलेशनाथ जी	–	सदस्य
6.	श्री धर्मेन्द्रनाथ वर्मा	–	सदस्य
7.	श्री प्रमोद कुमार चौधरी	–	सदस्य
8.	श्री धमेन्द्र सिंह	–	सदस्य
9.	श्री योगी त्यागीनाथ जी	–	सदस्य
10.	श्री ज्योति प्रसाद मस्करा	–	सदस्य
11.	श्री द्वारिका तिवारी	–	सदस्य
12.	प्राचार्य	–	सदस्य (पदेन)

प्रवेश सम्बन्धी सामान्य सूचनाएँ

1. अभ्यर्थियों को चाहिए कि वे इस विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर और तदनुसार आवेदन-पत्र भरें। प्रवेश के पश्चात विद्यार्थियों को इस पुस्तिका में उल्लिखित नियमों के अनुसार आचरण करना आवश्यक है।
2. बी.ए./बी.एस-सी. एवं बी.कॉम. भाग एक में प्रवेश हेतु योग्यता प्रदायी अर्थात् इण्टर की तथा एम.ए. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के लिए स्नातक के तीनों वर्षों की स्थायी अंकतालिका (मार्कशीट) ही मान्य होगी, प्रतिबन्धित अथवा अस्थायी अंकतालिका नहीं।
3. सभी प्रकार के शुल्क महाविद्यालय के शुल्क-काउण्टर पर स्वीकार किये जाते हैं, जिनके लिए छपी हुई रसीद दी जाती है। बिना रसीद के कोई धन न जमा करें और न ही अनधिकृत व्यक्ति को महाविद्यालय से सम्बन्धित कोई शुल्क दें अन्यथा इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
4. महाविद्यालय में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान संकायों में स्नातक पाठ्यक्रम त्रिवर्षीय होता है। प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष में तीन विषयों का अध्ययन करना है, किन्तु तृतीय वर्ष में चुने गये विषयों में से केवल दो का ही अध्ययन करना होगा।
5. एक संकाय/विभाग में प्रवेश हेतु भरा गया अथवा पंजीकृत आवेदन पत्र किसी भी दशा में अन्य संकाय/विभाग में प्रयोग या स्थानान्तरित नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी एक साथ कई संकायों/विभागों में प्रवेश हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे अलग-अलग संकायों/विभागों में अलग-अलग आवेदन-पत्र भरना तथा पंजीकृत कराना होगा।
6. प्रत्येक संकाय के छात्र/छात्राओं के लिए गणवेश (यूनीफार्म) अनिवार्य रूप से लागू है।
7. किसी भी पाठ्यक्रम की शिक्षा के लिए लिया गया शुल्क न तो समायोजित होगा और न ही वापस होगा।
8. इस विवरणिका तथा नियमावली में संशोधन तथा परिवर्तन का अधिकार महाविद्यालय के पास सुरक्षित है।

महाविद्यालय के संकाय एवं अनुमन्य विषय संयुक्तियाँ

महाविद्यालय में सम्प्रति अधोलिखित संकायों एवं विषयों में शिक्षा प्रदान की जा रही है।

विश्वविद्यालय द्वारा प्रवर्तित व्यवस्था के अनुसार महाविद्यालय में उपलब्ध - आधारभूत सुविधाओं तथा शिक्षकों के स्वीकृत पदों के सापेक्ष निर्धारित सीटो के अनुसार स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न विषयों में छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा।

(क) कला संकाय (स्नातक स्तर)
बी.ए. (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम)

बी.ए. प्रथम वर्ष सत्र 2016-17 के लिए महाविद्यालय में निम्नलिखित विषय संयुक्तियाँ निर्धारित की गयी है।

1. **राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन** - दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के नियमानुसार स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को स्नातक प्रथम, द्वितीय या तृतीय वर्ष तक इस पाठ्यक्रम की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेना आवश्यक है, किन्तु इस परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य विषय के प्राप्तांको के साथ श्रेणी आदि के निर्धारण में नहीं जोड़े जायेंगे।

2. **स्नातक स्तर कला संकाय के वैकल्पिक विषय** - हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, प्राचीन इतिहास, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान तथा रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन ।

3. **विषय-चयन** - स्नातक कला संकाय में पढ़ायें जाने वाले समस्त विषयों को तीन समूहों में नियमानुसार सूचीबद्ध किया गया है। प्रत्येक विद्यार्थी को तीन विषयों का चयन करना है। समूह 'क' से केवल एक विषय लिया जा सकता है। समूह 'ख' तथा 'ग' से एक या दो विषयों का चयन किया जा सकता है।

समूह 'क'	समूह 'ख'	समूह 'ग'
1. भूगोल	1. प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति	1. राजनीति शास्त्र
2. मनोविज्ञान	2. हिन्दी	2. अर्थशास्त्र
3. रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन	3. संस्कृत	3. समाजशास्त्र
	4. अंग्रेजी	4. शिक्षाशास्त्र

नोट- 1. भूगोल विषय वे ही अभ्यर्थी ले सकते हैं जिन्होंने इण्टर में भूगोल पढ़ा हो अथवा इण्टर परीक्षा विज्ञान या कृषि वर्ग से उत्तीर्ण किया हो।

2. प्रत्येक विषय में स्थान निर्धारित है। प्रवेश के उपरान्त विषय परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

विषय संतुलन के लिए आवश्यक निर्देश

1. विज्ञान या कृषि संवर्ग में इण्टर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों द्वारा भूगोल, मनोविज्ञान तथा रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विषयों में से किसी एक विषय का चयन करना अनिवार्य हैं।
2. संस्कृत विषय के साथ इण्टर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को संस्कृत विषय का चयन करना अनिवार्य है।
3. अर्थशास्त्र विषय के साथ इण्टर या इण्टर कॉमर्स उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को अर्थशास्त्र विषय का चयन करना अनिवार्य है।
4. विषय चयन सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए प्रवेश समिति का सुझाव मान्य होगा।

(ख) कला संकाय (स्नातकोत्तर स्तर)

1. पाठ्य विषय : प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति

पाठ्यक्रम

स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष

1. प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास (600 BC से 550 AD तक)
2. प्राचीन भारत का राजनैतिक इतिहास (550 AD से 950 AD तक)
3. प्राचीन भारतीय पुरा एवं प्रागैतिहास।
4. प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास
5. इतिहास दर्शन एवं प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन।

स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष

निम्नलिखित चार ग्रुपों (A,B,C एवं D) में से छात्रों को किन्हीं दो ग्रुपों का चयन करना है-

ग्रुप "A" (भारतीय धर्म एवं दर्शन)

1. ब्राह्मण धर्म एवं दर्शन
2. बौद्ध एवं जैन धर्म एवं दर्शन

ग्रुप "B" (कला, स्थापत्य एवं प्रतिमा लक्षण)

1. सौन्दर्यशास्त्र एवं स्थापत्य
2. प्रतिमाशास्त्र एवं मूर्ति शिल्प

ग्रुप "C" (पुरातत्व)

1. विश्व पुरातत्व का सर्वेक्षण
2. पुरातत्व : विधि एवं सिद्धान्त

ग्रुप "D" (मुद्रा शास्त्र, पुराभिलेख एवं लिपिशास्त्र)

1. प्राचीन भारतीय मुद्राशास्त्र
2. प्राचीन भारतीय पुराभिलेख एवं लिपि शास्त्र

मौखिकी

शोध की सुविधा - दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के नियमानुसार महाविद्यालय के प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग के प्राध्यापकों को विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को अपने निर्देशन में शोध कराने की सुविधा प्राप्त है।

2. पाठ्य विषय : भूगोल (स्ववित्तपोषित)

पाठ्यक्रम

स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष

1. भूआकृति विज्ञान
2. मानव एवं जीवमण्डल
3. संसाधन भूगोल
4. भौगोलिक विचारधाराएँ - संकल्पनाएँ एवं मुद्दे
5. कार्टोग्राफी
6. प्रयोगात्मक

स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष

अनिवार्य प्रश्न पत्र

1. जलवायु विज्ञान एवं समुद्र विज्ञान
2. भारत का भूगोल

वैकल्पिक प्रश्न-पत्र

नोट- निम्नांकित वर्गों में से एक-एक वैकल्पिक प्रश्न पत्र लेना अनिवार्य है।

3. वर्ग 'अ'

1. जनसंख्या भूगोल 2. कृषि भूगोल

4. वर्ग 'ब'

1. नगरीय भूगोल 2. राजनीतिक भूगोल

5. कार्टोग्राफी

6. प्रयोगात्मक

2. पाठ्य विषय : हिन्दी (स्ववित्तपोषित)

पाठ्यक्रम

स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष

1. आधुनिक गद्य
2. साहित्यशास्त्र
3. लोक साहित्य के सिद्धांत एवं भोजपुरी साहित्य
4. आधुनिक काव्य
5. हिन्दी, संस्कृत एवं ऊर्दू साहित्य का इतिहास

स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष

1. प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य
2. भाषा विज्ञान, हिन्दी भाषा एवं लिपि
3. विशेष अध्ययन- (वैकल्पिक) इनमें से किसी एक विकल्प का अध्ययन करना होगा-निर्गुण भक्ति काव्य, सगुण भक्ति काव्य, रीति काव्य, छायावादी काव्य, छायावादोत्तर काव्य
कथा साहित्य, हिन्दी नाटक तथा हिन्दी आलोचना।
4. निबन्ध अथवा लघु शोध प्रबन्ध
5. मौखिकी

नोट : लघु शोध प्रबंध वे संस्थागत अभ्यर्थी ले सकेंगे जिन्होंने एम.ए. प्रथम वर्ष में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक अर्जित किया हो।

(ग) विज्ञान संकाय (स्नातक स्तर)

पाठ्य विषय :

1. वित्तपोषित – प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं रसायन विज्ञान व रक्षा एवम् स्त्राताजिक अध्ययन।
2. स्ववित्तपोषित – कम्प्यूटर साइंस, भौतिकी एवं गणित ।

बी.एस–सी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाला अभ्यर्थी निम्नलिखित विषय समूहों में से किसी एक विषय समूह का चयन कर सकता है। –

समूह 'क' (वित्तपोषित)	समूह 'ख' (स्ववित्तपोषित)
1. प्राणि विज्ञान	1. कम्प्यूटर साइंस
2. वनस्पति विज्ञान	2. भौतिकी
3. रसायन विज्ञान या रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन	3. गणित

नोट:- उपर्युक्त विषय समह के अतिरिक्त 'राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन' विषय अनिवार्य है।

(घ) शिक्षा संकाय (बी.एड.)

बी.एड. में प्रवेश शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार होगा।

(ङ.) वाणिज्य संकाय, स्नातक स्तर (बी.कॉम.)

(स्ववित्तपोषित)

नोट- बी.कॉम. विद्यार्थियों को विषय-समूह के अतिरिक्त 'राष्ट्र गौरव, पर्यावरण एवं मानवाधिकार अध्ययन' विषय अनिवार्य है।

प्रवेशार्थियों को चाहिए कि महाविद्यालय में प्रवेश के पूर्व निम्नलिखित नियमों का भली प्रकार अध्ययन कर लें-

1. बी.ए., बी.एस-सी. (वित्तपोषित एवं स्ववित्तपोषित), बी.कॉम. (स्ववित्तपोषित) तथा एम.ए. भाग एक प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति (वित्तपोषित) तथा भूगोल एवं हिन्दी (स्ववित्तपोषित) में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र विवरणिका के अन्त में संलग्न है। रू 250.00 नकद जमा करके महाविद्यालय काउन्टर से प्राप्त किया जा सकता है। अलग-अलग कक्षाओं के लिए अलग-अलग आवेदन-पत्र भरकर जमा करना होगा। आवेदन-पत्रजमा होने के पश्चात् कोई भी अधिमान या अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2. बी.ए., बी.एस-सी. तथा बी.कॉम. भाग दो एवं तीन तथा एम.ए. भाग दो में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र रू 100. 00 नकद जमा करके कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसकी सूचना यथासमय महाविद्यालय के सूचना पट तथा स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से दी जायेगी।

3. क. बी.ए./बी.एस-सी./बी.कॉम. भाग एक में आवेदन पत्र प्राप्त एवं जमा करने की तिथियाँ-

   (i) आवेदन-पत्र प्राप्त करने की तिथि- दिनांक 16 मई 2016 से दिनांक 20 जून 2016 तक।

   (ii) आवेदन पत्र जमा करने की तिथि - दिनांक 20 जून 2016 तक ।

   (iii) एम.ए भाग एक के आवेदन-पत्र बी.ए. भाग तीन 2016 के परीक्षा परिणाम आने के पश्चत् जमा किये जायेंगे।

आवेदन-पत्र महाविद्यालय काउन्टर पर 30.00 पंजीयन शुल्क के साथ स्वीकार किये जायेंगे। डाक या कोरियर द्वारा भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

   ख. बी.ए., बी.एस.-सी. एवं बी.कॉम. प्रथम वर्ष के आवेदन पत्र के साथ इण्टरमीडिएट अंकपत्र की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति लगाना आवश्यक है। बिना वांक्षित अंकपत्र के आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं होगा।

   ग. बी.ए., बी.एस.-सी. तथा बी.कॉम. भाग दो एवं तीन तथा एम.ए. अन्तिम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन-पत्र सम्बंधित योग्यता प्रदायी परीक्षा का परिणाम घोषित होने के एक माह के अन्दर प्रवेश लेना आवश्यक है ।

4. आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है -

(i) हाईस्कूल से लेकर अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा के अंकपत्रों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति ।

(ii) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति ।

(iii) अन्तिम संस्था, जिसमें अभ्यर्थी ने शिक्षा पायी हो द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण-पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति ।

(iv) अन्य पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/स्वतंत्रता सेनानी आदि का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम प्रमाण-पत्र (जिसके लिए लागू हो) की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति ।

(v) अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) जैसे-क्रीड़ा, राष्ट्रीय सेवा योजना, एन.सी.सी. स्काउंटिंग, रोवर्स रेंजर्स आदि का प्रमाण-पत्र (जिसके लिए लागू हो) की स्वाहस्ताक्षरित छायाप्रति ।

विशेष : अपूर्ण एवं अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।

5. बी.ए./बी.एस-सी./बी.कॉम. एवं एम.ए. प्रथम वर्ष की कक्षाओं के प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रों की संख्या पूर्व निर्धारित है। अतः प्रबन्धन द्वारा की जाने वाली नामिती/संस्तुति के अधीन रहते हुए प्रवेश के लिए उपलब्ध स्थान प्राप्त आवेदन-पत्रों की योग्यता प्रदायी परीक्षा के प्राप्तांको के आधार पर मेरिट से भरें जायेंगे ।

6. मेरिट निर्धारण में निम्नांकित बिन्दुओं को प्राथमिकता दी जायेगी ।

(i) व्यावसायिक वर्ग से इण्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों की मेरिट सैद्धान्तिक विषयों के प्राप्तांक के आधार पर निर्धारित होगी । इसमें प्रायोगिक के अंक सम्मिलित नहीं होंगे ।

(ii) योग्यता प्रदायी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् अन्तराल की दशा में एक वर्ष के अन्तराल पर 5 प्रतिशत, दो वर्ष के अन्तराल पर 7 प्रतिशत तथा तीन वर्ष के अन्तराल पर 10 प्रतिशत अंकों की पूर्णांक के आधार पर प्राप्तांक से कटौती करके मेरिट का निर्धारित किया जायेगा। जिन्होंने 2013 से पूर्व इण्टर/स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, वे प्रवेश के लिए आवेदन न करें। अन्तराल के लिए स्पष्टीकरण देते हुए नोटरी शपथ-पत्र देना होगा। सेवारत सैन्यकर्मियों तथा भूतपूर्व सेनिकों के प्रवेश में यह नियम लागू नहीं होगा ।

(iii) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी के लिए प्रवेश हेतु योग्यता प्रदायी परीक्षा में 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक है। अतः इससे कम प्रतिशत के सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी प्रवेश हेतु आवेदन न करें ।

7. महाविद्यालय में सभी सम्बन्धित कक्षाओं के प्रवेश के लिए अधिमान/अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) के प्रतिशत को अभ्यर्थी के प्राप्तांक प्रतिशत में जोड़कर मेरिट सूची घोषित होगी ।

(i) इस महाविद्यालय के संस्थागत विद्यार्थी को एम.ए. प्रथम वर्ष के लिए - 3 प्रतिशत

(ii) महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत संचालित इण्टरमीडिएट कालेज/महाविद्यालय के विद्यार्थी के लिए - 2 प्रतिशत

(iii) क्रीड़ा :

(अ) राष्ट्रीय स्तर - 3 प्रतिशत

(ब) राज्य स्तर/मण्डल अन्तर्महाविद्यालय स्तर - 2 प्रतिशत

(iv) राष्ट्रीय सेवा योजना :

(अ) दो कैम्प तथा 240 घंटा कार्य - 3 प्रतिशत

(ब) एक कैम्प तथा 240 घंटा कार्य - 2 प्रतिशत

(v) एन.सी.सी. :

(अ) ''सी'' सर्टिफिकेट - 3 प्रतिशत

(ब) ''बी'' सर्टिफिकेट - 2 प्रतिशत

(vi) स्काउटिंग/रोवर्स रेंजर्स :

(अ) राष्ट्रपति/राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त -3 प्रतिशत

(ब) तृतीय सोपान/निपुण - 2 प्रतिशत

(स) द्वितीय सोपान/प्रवीण - 1 प्रतिशत

(vii) दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं सम्बद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पाल्यों को प्रवेशार्थ - 10 प्रतिशत

टिप्पणी: किसी भी अभ्यर्थी को कुल दो अधिप्रतिनिधित्व (वेटेज) से अधिक एक साथ नहीं मिलेगा लेकिन यह अधिकतम 5 प्रतिशत होगा। केवल 7 (vii) के लिए यह सीमा 10% प्रतिशत

8. शासन एवं विश्वविद्यालय के नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था इस सत्र में भी लागू रहेगी।

(अ) उर्ध्व (वर्टिकल) आरक्षण : (केवल उ0प्र0 के अधिवासियों (Domocile के लिए))

(i) अनुसूचित जाति - 21 प्रतिशत

(ii) अनुसूचित जनजाति - 2 प्रतिशत

(iii) अन्य पिछड़ा वर्ग (इसके लिए क्रीमीलेयर के अभ्यर्थी अर्ह नहीं है) - 27 प्रतिशत

(ब) क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आरक्षण :

(i) शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी - 3 प्रतिशत

(ii) स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों के आश्रितों को (पुत्र/अविवाहित पुत्री/पौत्र/अविवाहित पौत्री/प्रपौत्री) - 2 प्रतिशत

(iii) भूतपूर्व सैनिकों एवं युद्ध में शहीद, युद्ध में अपंग रक्षाकर्मियों के पाल्यों को - 2 प्रतिशत

(iv) कारगिल युद्ध में शहीद हुए रक्षाकर्मी के आश्रित के लिए - 1 प्रतिशत

(v) कश्मीर विस्थापितों के लिए - 1 प्रतिशत

(vi) कार्यरत सैनिक पाल्य के लिए - 1 प्रतिशत

(vii) महिला अभ्यर्थियों के लिए -20 प्रतिशत

(स) अधिसंख्य आरक्षण :

महाविद्यालय के शिक्षकों/कर्मचारियों के पाल्यों के लिए स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में कुल निर्धारित सीटों का क्रमश: 10 प्रतिशत एवं 5 प्रतिशत।

टिप्पणी: नीचे दी गयी तालिका में प्रमाण-पत्र के सम्मुख अंकित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा जो जाँच हेतु प्रवेश के समय काउंसिलिंग में प्रस्तुत करना होगा।

प्रमाण-पत्र	सक्षम अधिकारी
(अ) जाति प्रमाण-पत्र 1. अनुसूचित जाति 2. अनुसूचित जनजाति 3. अन्य पिछड़ा वर्ग	जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी/ तहसीलदार/मजिस्ट्रेट
(ब) विकलांगता प्रमाण-पत्र	मुख्य चिकित्साधिकारी
(स) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रमाण-पत्र	जिलाधिकारी
(द) प्रतिरक्षा प्रमाण-पत्र	जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
(य) कश्मीर के विस्थापित व कारगिल शहीद आदि	जिलाधिकारी
(र) विश्वविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्य	कुलसचिव
(ल) सम्बद्ध महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्य	प्राचार्य एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित
(व) महाविद्यालय के शिक्षकों एवं कर्मचारियों के पाल्य	प्राचार्य

9\. (अ) प्रत्येक वर्ग में मेरिट के आधार पर प्रवेश योग्य चुने गये अभ्यर्थियों की सूची महाविद्यालय के सूचना पट एवं बेवसाइट पर प्रकाशित कर दी जायेगी जिसे देखकर अवगत होना अभ्यर्थी का कर्त्तव्य है। प्रवेश सम्बन्धी सूचना प्राप्त करने का पूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा। महाविद्यालय इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

(ब) प्रवेश योग्य घोषित अभ्यर्थी के लिए निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार हेतु प्रवेश समिति के समक्षआवेदन पत्र के साथ लगाये गये संलग्नकों की मूल प्रतियों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य है।

(स) साक्षात्कार के समय स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (टी.सी) लाना आवश्यक है।

(द) निर्धारित समय पर स्वयं उपस्थित न होने पर अथवा उपस्थित होने के बावजूद अपेक्षित मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने पर अभ्यर्थी के आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा और उसे साक्षात्कार का दूसरा अवसर नहीं दिया जायेगा।

10. साक्षात्कार के पश्चात् अन्तिम रूप में चयनित अभ्यर्थी यदि तत्काल या दी गयी तिथि पर निर्धारित शुल्क नहीं जमा करता है तो प्रवेश के लिए उसका चयन स्वतः निरस्त माना जायेगा।

11. प्रवेश हेतु चयन के सम्बन्ध में महाविद्यालय के प्राचार्य एवं उनके द्वारा नियुक्त प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य होगा। महाविद्यालय बिना कारण किसी भी कक्षा में किसी भी अभ्यर्थी का प्रवेश अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कोई भी अभ्यर्थी अपने अधिकार के रूप में प्रवेश की माँग नहीं कर सकता, चाहे वह प्रवेश के लिए सभी प्रकार से योग्य ही क्यों न हो।

12. कोई भी संस्थागत छात्र संबंधित सत्र में 30 जून तक ही बोनाफाइड छात्र माना जायेगा।

स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम

विवरण	बी.कॉम भाग-I,II,II	बी.एस-सी. भाग-I, II,III	एम.ए. भूगोल भाग-I, II	एम.ए. हिन्दी भाग-I,II
शुल्क (₹)	10,500.00	11000.00	10000.00	9500.00

(कॉशनमनी कॉलेज छोड़ने की तिथि से तीन वर्ष के अन्दर वापस की जाएगी। इस अवधि के पश्चात् कॉशनमनी महाविद्यालय के पक्ष में स्वीकृत मानी जाएगी।)

टिप्पणी :

1. बी.ए./बी.एस.-सी./बी.कॉम. द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा एम.ए. द्वितीय वर्ष में प्रवेशार्थियों को कॉशनमनी नहीं देनी होगी।
2. सरकार, शिक्षा निदेशक अथवा विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार आवश्यक होने के बाद में भी शुल्क तालिका में संशोधन अथवा परिवर्तन किया जा सकता है। जो सर्व सम्बन्धित के लिए देय होगा।

शुल्क विवरण (वित्तपोषित पाठ्यक्रम)

क्र.सं.	विवरण	बी.ए. भाग-1,2,3	बी.एस-सी. भाग-1,2,3	एम.ए. भाग-1, 2	
01.	शिक्षण शुल्क	132.00	132.00	180.00	शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त आडिट शुल्क रू0 1000.00 लिया जायेगा।
02.	प्रवेश शुल्क	5.00	5.00	5.00	
03.	पंजीकरण शुल्क	1.00	1.00	1.00	
04.	महँगाई शुल्क	42.00	42.00	42.00	
05.	बिजली शुल्क	125.00	125.00	125.00	
06.	प्रयोगात्मक शुल्क (जिन पर लागू हो)	240.00	720.00	---------	
07.	पुस्तकालय शुल्क	100.00	100.00	100.00	
08.	वाचनालय शुल्क	50.00	50.00	50.00	
09.	चिकित्सा शुल्क	50.00	50.00	50.00	
10.	पत्रिका शुल्क	100.00	100.00	100.00	
11.	श्रव्य दृश्य शुल्क	75.00	75.00	75.00	
12.	परिचय पत्र शुल्क	100.00	100.00	100.00	
13.	सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क	75.00	75.00	75.00	
14.	क्रीड़ा शुल्क	150.00	150.00	150.00	
15.	छात्रसंघ शुल्क	50.00	50.00	50.00	
16.	छासंघ चुनाव शुल्क	35.00	35.00	35.00	
17.	साईकिल स्टैण्ड शुल्क	100.00	100.00	100.00	
18.	विभागीय परिषद शुल्क	75.00	75.00	75.00	
19.	कॉशनमनी शुल्क	150.00	150.00	150.00	
20.	विकास शुल्क	100.00	100.00	100.00	
21.	छात्र सहायता कोष	40.00	40.00	40.00	
22.	परीक्षा एवं फार्म प्रोसेसिंग शुल्क	1350.00	1350.00	1350.00	
23.	अंकपत्र शुल्क	100.00	100.00	100.00	
24.	उपाधि शुल्क (केवल अन्तिम वर्ष हेतु)	300.00	300.00	300.00	
25.	वि.वि.ना. शुल्क (जिन पर लागू हो)	150.00	150.00	150.00	
26.	राष्ट्र गौरव शुल्क (केवल स्नातक प्रथम वर्ष हेतु)	50.00	50.00	50.00	
27.	राष्ट्र गौरव परीक्षा शुल्क	15.00	15.00	15.00	
28.	रोवर्स रेंजर्स शुल्क	24.00	24.00	24.00	
29.	वैकल्पिक ऊर्जा शुल्क	316.00	336.00	308.00	
30.	व्यायामशाला व योग प्रशिक्षण	50.00	50.00	50.00	
31.	विश्वविद्यालय पूर्व परीक्षा शुल्क	50.00	50.00	50.00	
		4200.00	**4700.00**	**4000.00**	

सहगामी पाठ्यक्रम व अन्य

उ०प्र० राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र

इस महाविद्यालय में 25 अगस्त 2009 से उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय का अध्ययन केन्द्र (कोड एस-520) संचालित है। इसके माध्यम से नौकरीपेशा, व्यवसाय में लगे पुरूषों तथा महिलाओं हेतु अनेक पाठ्यक्रम जैसे- स्नातक स्तर पर बी.ए., बी.कॉम., बी.एस-सी. (बायो एवं मैथ ग्रुप), स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए., एम.कॉम., एम. लिब. आदि तथा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में बी.एस.ए., एम.सी.ए., पी.जी.डी.सी.ए., बी.बी.ए., पी.जी.डी.आर. एस. सी. आदि अनेक पाठ्यक्रमों का संचालन किया जाता है। इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश वर्ष में दो बार जुलाई तथा जनवरी में होता है। इसमें जमा किये गये शुल्क के अन्तर्गत ही स्व-अध्ययन के लिए पाठ्य सामग्री भी मिल जाती है। इसका आवेदन पत्र एवं विस्तृत सूचनायें उ.प्र. राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अध्ययन केन्द्र के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

कैरियर ओरिएन्टेड व्यावसायिक पाठ्यक्रम

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एवं उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली ने स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के साथ ही साथ निम्नलिखित कैरियर ओरिएन्टेड व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन की स्वीकृति प्रदान की है। निम्नांकित पाठ्यक्रम सक्रिय रूप से संचालित है।

1. कम्प्यूटर लेखांकन (**Computerized Accounting**)
2. पर्यावरण प्रदूषण एवं प्रबन्ध शिक्षा (**Environmental Pollution and Managment Education**)
3. मानवाधिकार (**Human Rights**)
4. निर्देशन एवं परामर्श प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम (Guidance and Counselling Course)

उक्त पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत सर्टिफिकेट कोर्स का संचालन होता है। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के साथ ही उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जायेगा।

रेमेडियल कोचिंग कक्षायें-

स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के शैक्षिक उन्नयन हेतु नियमित कक्षाओं के अतिरिक्त विशेष कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था है। इसकी सूचना यथा समय सूचना पट पर प्रसारित की जायेगी।

नेट/सेट कोचिंग कक्षायें -

स्नातकोत्तर कक्षाओं (प्राचीन इतिहास, भूगोल एवं हिन्दी) में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर), अल्पसंख्यक समुदाय, आर्थिक रूप से कमजोर तथा शारीरिक रूप से अक्षम छात्र/छात्राओं के शैक्षिक उन्नयन हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) एवं राज्य पात्रता परीक्षा (SET) की तैयारी हेतु कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के पश्चात छात्र/छात्रायें

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर पद की नियुक्ति के लिए अर्ह हो सकेंगे। इसकी सूचना यथा समय सूचना पट पर प्रसारित की जायेगी।

'इन्ट्री इन सर्विसेज' कोचिंग कक्षायें

सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को अखिल भारतीय/राज्य स्तर की सेवाओं में रोजगार प्राप्त करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा वित्तपोषित 'इन्ट्री इन सर्विसेज' के अन्तर्गत सिविल सर्विसेज, राज्य लोक सेवा आयोग, बैंक भर्ती परीक्षा आदि के कोचिंग कक्षाओं के संचालन की व्यवस्था है। इसकी सूचना यथा समय सूचना पट पर प्रसारित की जायेगी।

यू.जी.सी. नेटवर्क रिसोर्स सेन्टर

महाविद्यालय में छात्र/छात्रओं, शिक्षकों तथा कर्मचारियों में कम्प्यूटर के उपयोग के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने तथा प्रशासन, वित्त, परीक्षा, शिक्षण, शोध आदि विषयक कार्यों में इसका उपयोग करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नेटवर्क रिसोर्स सेन्टर की स्थापना की गयी है, जिससे महाविद्यालय सूचना एवं संचार नेटवर्क में संसाधन सम्पन्न हो सके। महाविद्यालय में कम्प्यूटर विभाग द्वारा समय-समय पर कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किया जाता है।

इक्वल अपार्च्यूनिटी सेन्टर

सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल विशेषकर अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं तथा शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक कर्मचारियों के हितों के संरक्षण तथा सामाजिक रूप से सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार महाविद्यालय में 'इक्वल अपार्च्यूनिटी सेन्टर' की स्थापना की गयी है। प्राचार्य की अध्यक्षता में 'इक्वल अपार्च्यूनिटी सलाहकार समिति' का गठन किया गया है।

स्वास्थ्य केन्द्र एवं डे केयर सेन्टर

महाविद्यालय में विद्यार्थियों, प्राध्यापकों, कर्मचारियों तथा जन सामान्य के स्वास्थ्य सम्बन्धी परीक्षण हेतु 'ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ प्राथमिक उपचार केन्द्र' की स्थापना की गयी है। सुयोग्य चिकित्सक सप्ताह में दो दिन (मंगलवार एवं बुधवार) प्रातः 11 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक महाविद्यालय में उपस्थित रहते हैं। इसी क्रम में वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलबध कराये गये वित्तीण संसाधन से 'डे केयर सेन्टर' की स्थापना की गयी है।

इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर

अंग्रेजी भाषा के बोलचाल में दक्षता बढ़ाने के लिए महाविद्यालय में ''इंग्लिश स्पीकिंग सेन्टर'' की कक्षायें संचालित की जाती हैं। छात्र/छात्राओं से अपेक्षा की जाती है कि इसका लाभ अवश्य उठावें। इसकी सूचना यथा समय सूचना पट पर प्रसारित की जायेगी।

व्यायामशाला (जिमनेजियम)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा अनुदानित महाविद्यालय के पश्चिमी परिसर में बी.एड. विभाग के पास प्रथम तल पर व्यायामशाला का निर्माण किया गया है जो आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। प्रत्येक कार्य दिवस पर व्यायामशाला प्रातः 6.00 बजे से 8.00 बजे तक खुला रहता है। इच्छुक प्राध्यापक, कर्मचारीगण एवं विद्यार्थी इसका अवश्य लाभ उठावें।

संग्रहालय

प्राचीन इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग में दर्शनीय संग्रहालय स्थापित है। जिसमें पाठ्यक्रम से सम्बन्धित मूर्तियाँ, अभिलेख, लिपि चार्ट, मन्दिर स्तूप, स्तम्भ की प्रतिकृतियाँ उपलब्ध हैं। इच्छुक विद्यार्थी प्रत्येक कार्य दिवस पर इसका लाभ उठा सकते हैं।

छात्र-संसद

छात्रों में नेतृत्व की क्षमता विकसित करने तथा महाविद्यालयी क्रिया-कलापों के संचालन में छात्रों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित करने हेतु विभिन्न कक्षाओं के श्रेष्ठतम विद्यार्थियों तथा क्रीड़ा, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय सेवा योजना एवं रोवर्स रेंजर्स में विशेष दक्षता प्राप्त विद्यार्थियों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

अनुशासनिक नियम एवं आवश्यक निर्देश

महाविद्यालय में विद्यार्थियों की कठिनाईयों के निराकरण एवं परिसर में अनुशासन बनाये रखने के लिए नियन्ता मण्डल का गठन किया जाता है जो सत्र पर्यन्त विद्यार्थियों के कल्याण एवं उसकी सहायता के लिए तत्पर रहता है। महाविद्यालय का प्रत्येक विद्यार्थी महाविद्यालय परिवार का एक जिम्मेदार सदस्य होता है। इसलिए उससे अपेक्षा की जाती है कि वह अपने क्रिया कलापों एवं आचरण के प्रति सचेष्ट रहकर महाविद्यालय के सम्मान व शैक्षिक गरिमा को बनाये रखने में तत्पर रहे।

अनुशासनिक नियम का उल्लंघन और दण्ड विधान

जब तक विद्यार्थी महाविद्यालय परिसर में रहे उनके लिए यहाँ के अनुशासनिक नियमों का ध्यान रखना अनिवार्य है। नियमों का उल्लंघन अपराध की श्रेणी में आता है।

(क) सामान्य अपराध :-

1. महाविद्यालय परिसर में पान या गुटखा खाना-थूकना व धूमपान करना।
2. महाविद्यालय क्षेत्र की दीवारों तथा मैदानों व पौधों की सुरक्षा के लिए लगाये गये तारों/ग्रील को लाँघना।
3. अध्ययन कक्ष में कुर्सी, मेज, पंखे, बल्ब व ट्यूब लाइट को क्षतिग्रस्त करना।
4. दीवारों पर विज्ञापन चिपकाना, उनपर स्थायी अथवा अस्थायी रूप से कुछ लिखना या ऐसे कृत्य जिनसे महाविद्यालय की सम्पत्ति को क्षति पहुँचे।

5. महाविद्यालय परिसर, बरामदों, अध्ययन कक्षों आदि में मोबाइल पर गाना सुनना-सुनाना, बात करना या उसके कैमरे का प्रयोग करना।

6. महाविद्यालय के इमारतों के भीतर, बराम्दों और गलियारों में वाहन लाना या चलाना ।

7. महाविद्यालय प्रशासन द्वारा साइकिल/मोटरसाइकिल रखने के लिए निर्धारित स्टैण्ड के अतिरिक्त अन्यत्र दो पहिया वाहन खड़ा करना, जिससे परिसर के आन्तरिक यातायात में अवरोध एवं बाधा उत्पन्न हो। मोटरसाइकिल पर तीन सवारी बैठा कर प्रवेश वर्जित है।

8. छात्राओं के कॉमन रूम और कक्षाओं के सामने तथा आते-जाते समय दरवाजे या गलियारों में खड़ा रहना।

9. महाविद्यालय परिसर में किसी भी राजनैतिक दल का प्रचार-प्रसार दण्डनीय है।

(ख) गम्भीर अपराध :-

1. महाविद्यालय के किसी भी सदस्य के प्रति अशिष्ट और उद्दण्डतापूर्ण व्यवहार करना।

2. विद्यार्थियों द्वारा एक दूसरे के प्रति अभद्र व्यवहार करना।

3. नियंता मण्डल के किसी सदस्य, अध्यापक या आंतरिक प्रशासन से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा पूछे जाने पर अपना नाम, पता बताने से इंकार करना अथवा परिचय-पत्र मांगने पर न दिखाना अथवा गलत नाम, पता देना आदि।

4. नियन्ता कार्यालय पर आहवान पत्र (समन) लेने से इंकार करना अथवा उसके कार्यालय में वांछित समय या तिथि पर उपस्थित न होना।

5. महाविद्यालय परिरसर के भीतर या उसके बाहर अमर्यादित व्यवहार करना।

6. कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के भीतर या उनके बाहर प्रदर्शन, महाविद्यालय के क्रियाकलाप में अवरोध उत्पन्न करना।

गणवेश (यूनीफार्म) से सम्बन्धित आवश्यक निर्देश

1. सभी छात्र/छात्राओं के लिए महाविद्यालय परिसर में एक निश्चित ड्रेस (यूनिफार्म) लागू है।

2. प्रवेश के पश्चात् सभी छात्र/छात्रायें महाविद्यालय के डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित ड्रेस के प्रारूप को देखकर एक सप्ताह के भीतर अपना ड्रेस बनवा लें।

3. **यूनीफार्म छात्रों के लिए** - हल्के बादामी रंग का फुल शर्ट, कोका कोला रंग का फुल पैन्ट तथा काला लेदर जूता।

4. **यूनीफार्म छात्राओं के लिए** - कोका कोला रंग का कुर्ता (छोटे कॉलर का), हल्का बादामी रंग का सलवार, हल्का बादामी रंग का दुपट्टा व काला लेदर जूती/सैण्डिल ।

शीतकाल में उपर्युक्त यूनीफार्म के साथ मैरून रंग का स्वेटर/ब्लेजर पहनना होगा।

दण्ड विधान

यदि कोई छात्र दुर्व्यवहार, ऊँची आवाज में बात करने, कार्यविमुखता, हड़ताल या महाविद्यालय कार्य में बाधा

पहुँचाने को दोषी पाया जाता है तो अपराध की प्रकृति और गम्भीरता के अनुरूप निम्न दण्डों में से एक या अधिक प्रकार के दण्डों का भागी हो सकता है -

(अ) चेतावनी

(ब) अर्थदण्ड

(स) वित्तीय तथा अन्य सुविधाओं से वंचित किया जाना।

(द) निलम्बन (Suspension)

(य) चरित्र प्रमाण-पत्र का निरस्तीकरण तथा चरित्र प्रमाण-पत्र न दिया जाना।

(च) निष्कासन (Expulsion)

परिचय पत्र

महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए परिचय पत्र बनवाना अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यार्थी को चाहिए कि प्रवेश के पश्चात् वह तत्काल परिचय पत्र बनवा लें तथा अनिवार्य रूप से महाविद्यालय परिसर में सदैव अपने पास रखें। परिचय पत्र के अभाव में महाविद्यालय परिसर में प्रवेश वर्जित है।

मूल परिचय पत्र खो जाने पर लेखा विभाग में रू0 50.00 नकद शुल्क जमा करके परिचय पत्र की द्वितीय प्रति पुनः प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए विद्यार्थी को अपने मूल परिचय पत्र की संख्या का उल्लेख करते हुए एक प्रार्थना पत्र तथा शपथ पत्र मुख्य नियन्ता के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि समय-समय पर विभाग/संकाय/नियन्ता कार्यालय के सूचना पट पर बराबर देखते रहें जिससे महाविद्यालय की विभिन्न सूचनाओं से अवगत हो सकें।

प्रत्येक परिचय पत्र जारी किये जाने की तिथि से सत्रांत तक वैध होगा। सत्रांत के बाद परिचय पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

उपस्थिति

शासनादेश पत्र संख्या एवं उ0प्र0 शासन तथा दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर के निर्देशानुसार प्रत्येक विषय के विद्यार्थियों के लिए कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति आवश्यक है। इससे कम होने पर उनका परीक्षा आवेदन-पत्र अग्रसारित नहीं होगा एवं परीक्षा से वंचित किया जायेगा। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी संबंधित विषयों में निर्धारित प्रतिशत तक अवश्य उपस्थिति रहें।

पुस्तकालय एवं वाचनालय

महाविद्यालय में पुस्तकालय एवं वाचनालय के साथ इन्टरनेट एवं वाई-फाई की भी व्यवस्था है। प्रत्येक विद्यार्थी पुस्तकालय नियमावली के अनुसार पुस्तकें प्राप्त करने का अधिकारी है। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे नियम एवं आवश्यक निर्देशों का पालन करते हुए पुस्तकालय एवं इन्टरनेट का लाभ अवश्य उठायें।

खेलकूद

महाविद्यालय में क्रिकेट, वालीबॉल, बैडमिंटन आदि विभिन्न खेलों की समुचित व्यवस्था है। खेल-कूद में

विशेष कौशल प्रदर्शित करने वाले विद्यार्थियों को महाविद्यालय की ओर से प्रमाण-पत्र तथा पुरस्कार भी प्रदान किये जाते हैं। अच्छे खिलाड़ियों के लिए और भी कई प्रकार की प्रोत्साहनपरक सुविधायें आवश्यकतानुसार उपलब्ध हे।

छात्रावास की सुविधा

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली की सहायता से महाविद्यालय कैम्पस में निर्मित 'दिग्विजयनाथ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज महिला छात्रावास' में महाविद्यालय की छात्राओं के लिए आवासी सुविधा भी उपलब्ध है। छात्रावास में कमरों के आवंटन हेतु छात्राओं की आवश्यकता, उनकी शैक्षिक योग्यता और उनके पैतृक स्थान से दूरी के आधार पर वरीयता दी जायेगी। छात्राएँ छात्रावास के लिए प्रवेश फॉर्म एवं नियमावली दिग्विजयनाथ पोस्ट ग्रेजुएट महिला छात्रावास के अधीक्षक से महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् शुल्क की रसीद प्रस्तुत कर प्राप्त कर सकती है।
2. महाविद्यालय के छात्रों के लिए 'प्रताप आश्रम' गोलघर में आवासीय सुविधा उपलब्ध है। इस छात्रावास का संचालन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् द्वारा होता है और इसमें प्रवेश देने का सर्वाधिकार महाराणा प्रताप परिषद को ही है।

राष्ट्रीय सेवा योजना (एन.एस.एस.)

महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना के विद्यार्थियों के लिए चार इकाई संचालित है जिसके माध्यम से विभिन्न गतिविधियों जैसे-जन साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा, समाज सेवा, शारीरिक श्रम के प्रति गौरव भाव, राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर जनजागरण आदि रचनात्मक कार्यों का संचालन सुनिश्चित किया जाता है। इस कार्यक्रम में निर्धारित कार्यविधि पूर्ण कर लेने पर विद्यार्थियों को अन्य कक्षाओं में प्रवेश तथा राजकीय सेवाओं में वरीयता प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों को चाहिए कि 30 सितम्बर 2015 तक कार्यक्रम अधिकारीगण से सम्पर्क कर सदस्यता फार्म प्राप्त कर उसे पूरित करके सदस्यता सुनिश्चित कर लें।

रोवर्स - रेंजर्स

महाविद्यालय में विद्यार्थियों के लिए रोवर्स-रेंजर्स की सुविधा उपलब्ध है। इसमें प्रशिक्षित सदस्यों को उच्च कक्षाओं में प्रवेश एवं राजकीय सेवाओं में वरीयता प्रदान की जाती है। इच्छुक छात्र रोवर्स की सदस्यता हेतु प्रभारी एवं रेंजर्स की सदस्यता हेतु संयोजक से सम्पर्क करें।

ग्रीवान्स एवं परामर्श सेल

महाविद्यालय में विद्यार्थियों के शैक्षिक, व्यावसायिक तथा व्यक्तिगत समस्याओं के निवारण के लिए ग्रीवान्स एवं परामर्श सेल की स्थापना की गयी है। विद्यार्थीगण अपनी समस्याओं के समाधान के लिए इसके संयोजक से सम्पर्क कर सकते हैं।

प्लेसमेंट सेल

महाविद्यालय में छात्र/छात्राओं को अध्ययन के उपरान्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्लेसमेंट सेल गठित है। इच्छुक विद्यार्थी इसका लाभ उठा सकते हैं।

पुरातन छात्र परिषद (एल्यूमिनी एसोसिएशन)

महाविद्यालय में पूर्व एवं वर्तमान छात्रों के बीच आपसी सम्बन्ध तथा अनुभव के आदान-प्रदान एवं महाविद्यालय की प्रगति के संबंध में सुझाव देने हेतु इस परिषद का गठन किया गया है। इस परिषद में महाविद्यालय के निवर्तमान प्राध्यापक/कर्मचारी/स्नातकोत्तर एवं स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्र/छात्रायें सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता हेतु समन्वय से सम्पर्क करें। वार्षिक सदस्यता रू 100.00 है।

शिक्षक अभिभावक संघ

महाविद्यालय में शिक्षक अभिभावक संघ का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि अभिभावकगण अपने पाल्यों के शिक्षा से सम्बन्धित किसी भी कमी या अपने सुझाव से प्रभारी को अवगत करा सकें। इसके लिए वर्ष में दो बार बैठक निर्धारित की गयी है।

एंटी रैगिंग कमेटी

महाविद्यालय परिसर तथा परिसर के बाहर किसी भी प्रकार का उत्पीड़न पूर्णत: निषिद्ध है। महाविद्यालय के किसी छात्र/छात्रा के प्रति मारपीट, अशिष्ट व्यवहार, प्रताड़ना, अभद्र टिप्पणी, गाली-गलौज, जाति सूचक टिप्पणी आदि में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से संलिप्त पाये जाने पर उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

छात्रसंघ का गठन

महाविद्यालय में छात्रसंघ का गठन लिंगदोह कमेटी की संस्तुति के अनुरूप शासन के निर्देशानुसार किया जायेगा।

महाविद्यालय पत्रिका

विद्यार्थियों की रचनात्मक प्रतिभा को विकसित करने के लिए महाविद्यालय द्वारा वार्षिक पत्रिका 'अरावली' का प्रकाशन होता है। अपेक्षा की जाती है कि विद्यार्थी सम्पादक मण्डल के निर्देश से इस सुविधा का उपयोग अपने अन्दर छिपी रचनात्मक प्रतिभा की अभिव्यक्ति के लिए करें।

छात्रवृत्तियाँ

1. शासनादेश के अनुरूप राज्य सरकार से प्राप्त अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य वर्ग के उन विद्यार्थियों को जो इस सीमा के अन्तर्गत आते हैं, छात्रवृत्तियाँ उपलब्ध हैं।
2. महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत बी.ए., बी.एस.सी. तथा बी.कॉम. भाग-1, 2 तथा 3 में एवं एम.ए. भाग एक एवं दो में श्रेष्ठ अंक के आधार पर प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को योग्यता छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।
3. महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत तथा शिक्षा, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक क्रिया-कलापों के क्षेत्र में अपनी चतुर्मुखी योग्यता के आधार पर स्नातकोत्तर (एम.ए.) के श्रेष्ठतम विद्यार्थी को बह्मलीन महन्त दिग्विजयनाथ स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है।
4. महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत तथा शिक्षा, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक क्रिया कलापों के क्षेत्र अपनी चहुर्मुखी योग्यता के आधार पर स्नातक (बी.ए. बी.कॉम., बी.

एस-सी.) के श्रेष्ठतम विद्यार्थी को ब्रह्मलीन महन्थ अवेद्यनाथ स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है।

5. महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत स्नातकोत्तर (एम.ए.) अन्तिम वर्ष के सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी की स्व0 कृष्णा कुमारी चौधरी स्मृति पुरस्कार रू0 2100.00 प्रदान किया जाता है।

6. महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत स्नातक (बी.ए., बी. एस-सी., बी.कॉम.) अन्तिम वर्ष के सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थी को स्व. राम लखन चौधरी स्मृति पुरस्कार रू0 2100.00 प्रदान किया जाता है।

7. महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद गोरखपुर द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत संस्थापक सप्ताह समारोह के अन्तर्गत आयोजित सभी प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ विजेता प्रतियोगी को पं. सरवन मिश्र स्मृति पुरस्कार रू0 12000.00 प्रदान किया जाता है।

8. क्रीड़ा के क्षेत्र में मण्डल, राज्य एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद् की संस्थाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शिक्षा परिषद् तथा महाविद्यालय द्वारा छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

छात्र सहायता

1. प्रतिभावान, जरूरतमंद तथा निर्धन विद्यार्थियों को नियमानुसार छात्र सहायता कोष से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। निर्धनता के आधार पर सहायतार्थ आवेदन करने वाले को आय प्रमाण-पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत) प्रस्तुत करना होगा।

2. छात्र सहायता एवं शुल्क मुक्ति के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी संयोजक, छात्र कल्याण समिति द्वारा यथा समय सूचना पट पर प्रसारित की जायेगी।

योग प्रशिक्षण

महाविद्यालय में विद्यार्थियों को उत्तम स्वास्थ्य और चरित्र की शिक्षा देने के लिए सुयोग्य प्रशिक्षक एवं आचार्य की देखरेख में योग प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गयी है। जिसमें छात्र/छात्राओं को अलग-अलग निर्धारित समय में प्रशिक्षण दिया जायेगा। इसमें रूचि रखने वाले विद्यार्थी से या महाविद्यालय योग प्रशिक्षण केन्द्र के संयोजक से विशेष जानकारी प्राप्त करें

उत्सव/सभाएँ एवं सांस्कृतिक क्रियाकलाप

महाविद्यालय में मुख्य रूप से निम्नलिखित अवसरों पर उत्सव, सभाएँ एवं सांस्कृति कार्यक्रमों को आयोजित किया जाता है।

1. स्वतंत्रता दिवस : दिनांक 15 अगस्त
2. ब्रह्मलीन पूज्य महन्त दिग्विजयनाथ जी महाराज की पुण्य तिथि : सितम्बर में (तिथि के अनुसार)
3. महाराणा प्रताप जयन्ती एवं पुण्यतिथि : जयंती - 09 मई, पुण्यतिथि - 19 जनवरी
4. गाँधी/शास्त्री जयन्ती : दिनांक 2 अक्टूबर

5. संस्थापक समारोह : दिनांक 04 दिसम्बर से 10 दिसम्बर तक
6. स्वामी विवेकानन्द जयन्ती : दिनांक 12 जनवरी
7. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जयन्ती : दिनांक 23 जनवरी
8. गणतंत्र दिवस : 26 जनवरी
9. वार्षिक क्रीड़ा समारोह
10. भाषण प्रतियोगिता
11. सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता
12. प्रश्न मंच प्रतियोगिता
13. निबन्ध प्रतियोगिता
14. कौशल विकास

इनके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में समय-समय पर विशिष्ट व्याख्यान, संगोष्ठी सेमीनार, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। महाविद्यालय के समस्त विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन सभी आयोजनों में उपस्थिति रहें तथा यथासंभव भाग लें।

साइकिल स्टैण्ड

महाविद्यालय में पूर्वी एवं पश्चिमी परिसर में प्राध्यापकों/कर्मचारियों एवं छात्र/छात्राओं के वाहन की सुरक्षा के लिए महाविद्यालय की ओर से व्यवस्था की गयी है। साइकिल प्रयोग करने वाले विद्यार्थियों को चाहिए कि वे साइकिल स्टैण्ड कर्मी से टोकन अवश्य प्राप्त कर लें। साइकिल टोकन खो जाने पर रू0 50.00 अर्थदण्ड देकर दूसरा टोकन प्राप्त कर लें। साइकिल स्टैण्ड के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर साइकिल रखना सर्वथा वर्जित है। इस निर्देश का पालन न करने वाले विद्यार्थी दण्ड के भागी होंगे और साइकिल स्टैण्ड पर भी बिना टोकन प्राप्त किये साइकिल रखने पर साइकिल खोने की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा कोई क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी। क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा खरीद रसीद पर अंकित मूल्य का 50 प्रतिशत होगी।

साइकिल स्टैण्ड पर यदि नियुक्त कर्मचारी उपस्थित नहीं है तो असुरक्षित स्थिति में साइकिल न रखें और इसकी सूचना तुरन्त नियन्ता मंडल को दें। वैकल्पिक व्यवस्था होने तक अपनी साइकिल की सुरक्षा का उत्तरायित्व आप पर है और इसके लिए महाविद्यालय जिम्मेदार नहीं होगा। कार, मोटर साइकिल एवं स्कूटर की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी महाविद्यालय की नहीं होगी।

प्रमाणपत्रों के लिए आवेदन-पत्र

सामान्यत: महाविद्यालय से किसी प्रकार का प्रमाण-पत्र चाहने वाले विद्यार्थी को चाहिए कि उसे जिस तिथि को प्रमाण-पत्र चाहिए उससे दो दिन पूर्व सम्बन्धित प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करें-

(क) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र के लिए रू0 20.00 शुल्क देय है। साथ ही सम्बन्धित विभागों/पुस्तकालय अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है।

(ख) द्वितीय प्रतिलिपि हेतु :

1. चरित्र प्रमाण-पत्र या बोनाफाइड छात्र प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए लेखा विभाग में रू0 10.00 जमा कर रसीद प्रस्तुत करना आवश्यक है।
2. स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए नोटरी शपथ-पत्र देना अनिवार्य है तथा एतदर्थ लेखा विभाग में रू0 20.00 शुल्क जमा करना होगा।
3. अंक-पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क जमाकर विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

रेलवे कन्सेशन

महाविद्यालय से रेलवे कन्सेशन प्राप्त करने की आवश्यक शर्तें :

1. महाविद्यालय से गृहनगर (विद्यार्थी के माता/पिता का स्थायी निवास स्थान) या गृहनगर से महाविद्यालय की यात्रा के लिए ही रेलवे कन्सेशन देय होगा।
2. महाविद्यालय द्वारा आयोजित शैक्षणिक पर्यटन के लिए भी रेलवे कन्सेशन देय होगा।

महाविद्यालय में अध्ययनरत रेलवे कन्सेशन हेतु इच्छुक विद्यार्थी निर्धारित शुल्क रू0 5.00 जमा कर आवेदन पत्र पूरित कर सम्बन्धित लिपिक के पास जमा कर दें। 25 वर्ष से अधिक उम्र के विद्यार्थियों के लिए रेलवे कन्सेशन अनुमन्य नहीं होगा।

महाविद्यालय की भावी योजनाएँ

उच्च शैक्षिक वातावरण बनाये रखने हेतु महाविद्यालय की भावी योजनायें निम्न हैं -

1. गृहविज्ञान, मध्यकालीन इतिहास एवं दर्शनाशास्त्र विषय में स्नातक तथा रक्षा अध्ययन एवं कम्प्यूटर साइंस विषय में स्नातकोत्तर और एम.कॉम की कक्षाओं के संचालन की योजना।
2. बी.सी.ए. एवं बी.बी.ए. पाठ्यक्रमों के संचालन की योजना।
3. 'कालेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सीलेंस' के लिए प्रयासरत।
4. महाविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए कम प्रीमियम पर 1 लाख का 'स्टूडेण्ट सेफ्टी इंश्योरेंस पॉलिसी' प्रारम्भ करने की योजना
5. कौशल विकास के लिए शार्ट टर्म कोर्स (टेलरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, गृह उद्योग आदि) लागू करने की योजना।
6. दोनो परिसरों में सी.सी.टी.वी. कैमरे की व्यवस्था।
7. दोनो परिसरों में पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था।
8. महिला छात्रावास में पुस्तकालय व वाचनालय की व्यवस्था।

विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपनी शैक्षिक समस्याओं तथा अन्य व्यावहारिक कठिनाईयों के निराकरण के लिए पहले मुख्य नियंता अथवा अपने संकाय के प्रभारी से सम्पर्क करें। वहाँ से निराकरण न होने पर ही प्राचार्य से मिलें। प्राचार्य के आदेश से इस नियमावली में आवश्यकतानुसार किसी भी समय परिवर्तन एवं संशोधन किया जा सकता है। इस नियमावली के अतिरिक्त समय-समय पर आवश्यकतानुसार जो निर्देश या नियम जारी किये जायेंगे, उनका पालन करना महाविद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी के लिए अनिवार्य है।

प्राध्यापक मण्डल

क्र.सं.	नाम	पद नाम	विभाग
01.	प्रो0 शेर बहादुर सिंह	प्राचार्य	
02.	डॉ. श्रीपाल सिंह	उपाचार्य	भूगोल विभाग
03.	श्री भगवान देव	उपाचार्य	भूगोल विभाग
04.	डॉ. शैलेन्द्र प्रताप सिंह	उपाचार्य	रक्षाअध्यक्ष विभाग
05.	डॉ. श्रीमती वीणा गोपाल मिश्र	उपाचार्य	राजनीतिशास्त्र विभाग
06.	डॉ. इन्द्रमणि त्रिपाठी	उपाचार्य	प्राणि विज्ञान विभाग
07.	डॉ. रामलाल गाडिया	उपाचार्य	समाजशास्त्र विभाग
08.	डॉ. तेज प्रताप शाही	उपाचार्य	प्राचीन इतिहास विभाग
09.	डॉ. अरूण कुमार तिवारी	उपाचार्य	बी.एड. विभाग
10.	डॉ. श्रीमती गीता सिंह	उपाचार्य	बी.एड. विभाग
11.	डॉ. श्री भगवान सिंह	उपाचार्य	रक्षाअध्ययन विभाग
12.	डॉ. सत्येन्द्र प्रताप सिंह	उपाचार्य	हिन्दी विभाग
13.	डॉ. श्रीमती शशि प्रभा सिंह	उपाचार्य	रसायन विज्ञान विभाग
14.	डॉ. श्रीमती सरोज शाही	उपाचार्य	बी.एड. विभाग
15.	डॉ. सत्यपाल सिंह	प्रवक्ता	अर्थशास्त्र विभाग
16.	डॉ. रविन्द्र कुमार	प्रवक्ता	संस्कृत विभाग
17.	डॉ. धीरेन्द्र कुमार	उपाचार्य	प्राचीन इतिहास विभाग
18.	डॉ. राजशरण शाही	वरिष्ठ प्रवक्ता	बी.एड. विभाग
19.	डा. नित्यानन्द श्रीवास्तव	वरिष्ठ प्रवक्ता	हिन्दी विभाग
20.	डॉ. श्रीमती शुभ्रा श्रीवास्तव	वरिष्ठ प्रवक्ता	बी.एड. विभाग
21.	डॉ. श्रीमती अर्चना सिंह	वरिष्ठ प्रवक्ता	समाजशास्त्र
22.	डॉ. राम प्रसाद यादव	मानदेय प्रवक्ता	रक्षा अध्ययन विभाग
23.	श्री चन्द्रमणि वर्मा	पुस्तकालयाध्यक्ष	

स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम : प्राध्यापक मण्डल

वाणिज्य संकाय

क्र.सं.	नाम	पद नाम
24.	डॉ. नीरज कुमार सिंह	प्रवक्ता
25.	डॉ. संजीव कुमार सिंह	प्रवक्ता
26.	डॉ. संजय कुमार त्रिपाठी	प्रवक्ता
27.	डॉ. चण्डी प्रसाद पाण्डेय	प्रवक्ता
28.	डॉ. अमरनाथ त्रिपाठी	प्रवक्ता

कला संकाय

क्र.सं.	नाम	पद नाम	विभाग
29.	डॉ. राकेश कुमार	प्रवक्ता	हिन्दी
30.	श्री भगवान सिंह	प्रवक्ता	हिन्दी
31.	डॉ. कमलेश कुमार मौर्य	प्रवक्ता	भूगोल
32.	डॉ. अनूप राय	प्रवक्ता	भूगोल
33.	डॉ. (श्रीमती) अनुपमा मिश्रा	प्रवक्ता	भूगोल
34.	डॉ. रविन्द्र कुमार	प्रवक्ता	भूगोल
35.	डॉ. संजीत कुमार सिंह	प्रवक्ता	भूगोल
36.	डॉ. मित्रपाल सिंह	प्रवक्ता	हिन्दी
37.	श्रीमती लक्ष्मी वर्मा	प्रवक्ता	हिन्दी
38.	डॅा. रीतू सिंह	प्रवक्ता	हिन्दी

विज्ञान संकाय, गणित वर्ग

क्र.सं.	नाम	पद नाम	विभाग
39.	श्री वार्ष्णेय तिवारी	प्रवक्ता	कम्प्यूटर विभाग
40.	श्री पवन कुमार पाण्डेय	प्रवक्ता	कम्प्यूटर विभाग
41.	श्री कीर्ति कुमार जायसवाल	प्रवक्ता	गणित
42.	श्री अरूणेन्द्र नाथ त्रिपाठी	प्रवक्ता	भौतिकी
43.	डॉ. प्रदीप कुमार शुक्ला	प्रवक्ता	गणित
44.	श्री यदुपति कुशवाहा	प्रवक्ता	भौतिकी

प्रबन्धकीय व्यवस्था के अन्तर्गत कार्यरत प्राध्यापक

क्र.सं.	नाम	पद नाम	विभाग
45.	डॉ. अखण्ड प्रताप सिंह	प्रवक्ता	शिक्षाशास्त्र
46.	डॉ. रूक्मिणी चौधरी	प्रवक्ता	शिक्षाशास्त्र
47.	कु0 विभा पाण्डेय	प्रवक्ता	अंग्रेजी
48.	डॉ. प्रवीण कुमार सिंह	प्रवक्ता	रक्षा अध्ययन
49.	डॉ. मुरली मनोहर तिवारी	प्रवक्ता	प्राचीन इतिहास
50.	डॉ. रमा शंकर सिंह यादव	प्रवक्ता	रसायन विज्ञान
51.	डॉ. व्यंकट रमन पाण्डेय	प्रवक्ता	मनोविज्ञान
52.	डॉ. प्रज्जवल दूबे	प्रवक्ता	वनस्पति विज्ञान
53.	डॉ. ऋषि कपूर	प्रवक्ता	प्राचीन इतिहास

कर्मचारी मंडल

(क) तृतीय श्रेणी (कार्यालय वर्ग)

क्र.सं.	नाम	पद नाम
1.	श्री बलराम प्रसाद कुशवाहा	स्टेनो
2.	श्री रामअवध मौर्य	कार्यालय अधीक्षक
3.	श्री विजय प्रताप नारायण पाठक	कार्यालय सहायक (लेखा प्रभारी)
4.	श्री संतोष कुमार त्रिपाठी	कार्यालय सहायक
5.	श्री गोरख प्रसाद	कार्यालय सहायक
6.	श्री दिव्य कुमार सिंह	कार्यालय सहायक

तृतीय श्रेणी (पुस्तकालय वर्ग)

क्र.सं.	नाम	पद नाम
7.	श्री सोहबत प्रसाद	पुस्तकालय लिपिक

तृतीय श्रेणी (प्रयोगशाला वर्ग)

क्र.सं.	नाम	पद नाम
8.	श्री राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी	प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान विभाग
9.	श्री अशोक कुमार सिंह	प्रयोगशाला सहायक प्राणि विज्ञान विभाग

क्र.सं.	नाम	पद नाम
10.	श्री शिवेन्द्र पाल	प्रयोगशाला सहायक रसायनशास्त्र विभाग
11.	श्री सूबेदार राम	प्रयोगशाला सहायक भूगोल विभाग

तृतीय श्रेणी (प्रबन्धकीय व्यवस्था)

क्र.सं.	नाम	पद नाम
12.	श्री कुलदीप शाही	वाणिज्य
13.	श्री राकेश सिंह	कला संकाय
14.	श्री अजय कुमार शर्मा	नियंता कार्यालय
15.	श्री बृजेश विश्वकर्मा	कम्प्यूटर आपरेटर
16.	श्री अरविन्द कुमार मौर्य	बी.एड.
17.	श्री बृजेश कुमार सिंह	कार्यालय
18.	श्री अजय प्रताप यादव	पुस्तकालय
19.	श्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव	कम्प्यूटर आपरेटर
20.	श्री लक्ष्मण थापा	प्रयोगशाला सहायक कम्प्यूटर विभाग
21.	श्री संतोष कुमार कंचन	प्रयोगशाला सहायक भौतिकी विभाग
22.	श्री चन्द्रशेखर मौर्य, कम्प्यूटर आपरेटर	IQAC/NAAC
23.	श्री उमेश सिंह	कार्यालय
24.	श्री विकास शुक्ला	कार्यालय

(क) चतुर्थ श्रेणी

क्र.सं.	नाम	पद नाम
1.	श्री भूषण यादव	परिचर
2.	श्री परशुराम यादव	परिचर
3.	श्री अभिमन्यु यादव	परिचर
4.	श्री अली हुसैन	परिचर
5.	श्रीमती सरस्वती देवी	परिचर
6.	श्री भगवान दास	परिचर

क्र.सं.	नाम	पद नाम
7.	श्री विश्वनाथ	परिचर
8.	श्री राजेन्द्र सिंह	परिचर
9.	श्रीमती आनन्दी सिंह	परिचर
10.	श्री शिवेन्द्र कुमार यादव	परिचर
11.	श्री अजय कुमार पाण्डेय	परिचर
12.	श्री सोम बहादुर	परिचर
13.	श्री अमरनाथ चौधरी	परिचर
14.	श्री वीरेन्द्र सिंह	परिचर
15.	श्री महेन्द्र प्रसाद	परिचर
16.	श्री राजेन्द्र शर्मा	परिचर
17.	श्री अभय कुमार सिंह	परिचर
18.	श्री श्रीप्रकाश सिंह	परिचर
19.	श्री प्रभुदयाल सिंह	परिचर
20.	श्री देवेन्द्र मणि भारती	परिचर
21.	श्री जटाशंकर नाथ	परिचर
22.	श्री राजकुमार	परिचर
23.	श्रीमती अमिता रावत	परिचर

(ख) चतुर्थ श्रेणी (प्रबन्धकीय व्यवस्था)

क्र.सं.	नाम	पद नाम
24.	श्री दिलीप कुमार पटेल	परिचर
25.	श्री कैलाश नाथ शर्मा	परिचर
26.	श्री शैलेश यादव	परिचर
27.	श्री केशभान	परिचर
28.	श्री रमेश	परिचर
29.	श्री अजय कुमार	परिचर
30.	श्री जितेन्द्र गौड़	परिचर
31.	श्री शंकर गौड़	परिचर
32.	श्री शोएब	परिचर
33.	श्री दयाशंकर राजभर	परिचर

महाविद्यालय द्वारा आयोजित विविध कार्यक्रम

महाविद्यालय द्वारा आयोजित विविध कार्यक्रम

मातृ संस्था
महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद
का
कुलगीत

यह महाराणाप्रतापाख्यावती, शिक्षा-परिषद् ज्ञान की मन्दाकिनी ।।
नाथ-मन्दिर की अखण्ड-ज्योति से,
प्रज्जवलित यह भारती की आरती।
यह भागीरथ से व्रती व्यक्तित्व की,
दिग्विजय की यशो-गाथा पावनी,
यह महाराणाप्रतापाख्यावती, शिक्षा-परिषद् ज्ञान की मन्दाकिनी ।।
सिद्ध श्री गोरक्ष की विज्ञान-भू में,
बुद्ध-वीर-कबीर की निर्वाण-भू में।
ज्ञान की धात्री चरित्र-विधान की,
राप्ती पर प्रकट विद्या-वनी।।
यह महाराणाप्रतापाख्यावती, शिक्षा-परिषद् ज्ञान की मन्दाकिनी ।।
हों प्रताप समान फिर युवजन कृती,
देशभक्त, स्वधर्म-निष्ठ, कुलव्रती।।
इसलिए सारस्वतानुष्ठान यह,
शैक्षणिक जागर्ति की कादम्बिनी।।
यह महाराणाप्रतापाख्यावती, शिक्षा-परिषद् ज्ञान की मन्दाकिनी ।।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्वायत्त संस्थान

NATIONAL ASSESSMENT AND ACCREDITATION COUNCIL

An Autonomous Institution of the University Grants Commission

Certificate of Accreditation

The Executive Committee of the
National Assessment and Accreditation Council
on the recommendation of the duly appointed
Peer Team is pleased to declare the
Digvijainath Post Graduate College
Gorakhpur affiliated to Deen Dayal Upadhyaya Gorakhpur University
Uttar Pradesh as

Accredited

with CGPA of 2.78 on four point scale

at B grade

Valid up to September 23, 2019

Date September 24, 2014

Director

पद्मश्री डॉ0 प्रवीण चन्द्रा को सम्मानित करते हुए गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त योगी आदित्यनाथ जी महाराज

संस्थापक समारोह 2015 के मुख्य महोत्सव में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ0 शेर बहादुर सिंह, शिक्षक डा0 शैलेन्द्र प्रताप सिंह व विद्यार्थी श्री आदित्य जायसवाल को श्रेष्ठ संस्था, श्रेष्ठ शिक्षक व श्रेष्ठतम विद्यार्थी का सम्मान प्रदान करते पूज्य गोरक्षपीठाधीश्वर महन्त अदित्यनाथ जी महाराज व विशिष्ट अतिथि प्रो0 अशोक कुमार कुलपति दी.द.उ. गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर